किया गया। पत्रावली पर उभय वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया तो यह तथ्य सामने आया कि तहसीलदार शिवगंज ने पीन रिपोर्ट के साथ दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न नहीं की गई है। अतः तहसीलदार शिवगंज को आज ही प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश करने हेतु निर्देशित किया जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 8.8.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

8.8.23 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। आज कलक्टर सिरोही पधारे हैं। अतः पत्रावली कारवाई दिनांक 16.8.2023 को पेश हो।

रीडर

16/8/23 पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब अवकाश पर है।
अतः पत्रावली इलतवा होकर आयन्दा
दिनांक 18/8/23 को पेश हो।

रीडर

18/8/2023 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार शिवगंज के द्वारा प्रस्तुत [illegible] पंकुदेवी के राशनकार्ड अनुसार [illegible] उम्र 36 वर्ष बताई गई [illegible] पंकुदेवी की भतीजी है यह राशनकार्ड दिनांक 06.8.201[illegible] है जबकि रामाराम पुत्र वालाराम मीणा निवासी बिडुडा द्वारा प्रस्तुत राशनकार्ड में लता नाम दर्ज है एवं लता की उम्र 15 वर्ष

लगातार....

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:38:27 IST
Reason: SelfAttested

बताया गई है शमाराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में लता की माँ का नाम उगीदेवी अंकित है। लता उर्फ ललिता द्वारा दौराने जांच स्वयं को निरक्षर बताया गया है जबकि गांव बिटुड़ा में जांच से ज्ञात हुआ है कि लता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है एवं प्रधानाध्यापक रा.प्रा. विद्यालय बिटुड़ा जिला जालोर के पत्र क्रमांक 227 दिनांक 7.7.2023 के अनुसार लता की जन्म तिथि 19.04.2007 बताई गई है व लता के पिता का नाम रामलाल व माता का नाम उगीदेवी मीणा बताया है तथा लता के पेंशन पी.पी.ओ. में भी उनके पिता का नाम शमाराम ही अंकित है इस प्रकार दोनों पक्षों के तथ्यों में विरोधाभास है।

हमने दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की बहस, दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन कर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलार्थी प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों के रूप में यह पूर्णतः साबित करने में सफल नहीं रहे है कि ललिता उर्फ लता एक ही है व हंजाराम की ही वैधिक संतान है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं. से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:38:27 IST
Reason: SelfAttested